| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेंस/एल.आर/54033/2005/नागौर**<br>**सरकार बनाम चूनानाथ** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**

**उपस्थितः–**

श्री शिव प्रकाश चौधरी उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।

अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही।

–––––

आदेश

**दिनांक :– 07 मार्च, 2019**

यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2003 में पारित आदेश दिनांक 12–7–2005 की अभिशंषा में पेश किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है तहसीलदार (भू.अ.), नागौर ने अप्रार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रैफरेंस प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम सरासनी तहसील व जिला नागौर की जमाबंदी संवत 2006 में खसरा नंबर 190 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि डोली बनाम आसण वाके सोमडा के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा काश्तकार के कॉलम में जगनाथ बेटा पेमानाथ रो जात रो नाथ वासी गांवरा खातेदार अंकित है। संवत 2020 में भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नंबर 190 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा जगनाथ वलद पेमनाथ कौम नाथ के नाम दर्ज कर दी गई तथा जमाबंदी संवत 2051 से 2060 में उक्त भूमि चूनानाथ बंशीनाथ पिसरान जगनाथ नाथ के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड की गई है। जबकि एकीकरण विभाग को माफी मंदिर की भूमि अन्य किसी को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त वर्णित भूमि मंदिर मूर्ति के खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना है। ऐसी भूमि को किसी भी कानून के तहत अन्य व्यक्ति के नाम इन्द्राज नही किया जा सकता है। तत्कालीन समय में हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड में काटछांट कर मन्दिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में अभिलिखत किया गया है, जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। इस प्रकार तत्कालीन समय में हल्का पटवारी व भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किया गया उसे हटाया जाना आवश्यक है। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार का परिर्वन करने का कोई अधिकार नही था। अतः

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेंस/एल.आर/54033/2005/नागौर**<br>**सरकार बनाम चूनानाथ** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हाल आराजी से विपक्षीगण के नाम को हटाया जाकर पुनः डोली बनाम आसण वाके सोमड़ा के नाम दर्ज कराने हेतु रेफरेंस प्रस्तुत कराया जावे।<br><br>3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये, अप्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 12–7–05 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। इस न्यायालय द्वारा रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये परन्तु बावजूद तामील वे अनुपस्थित रहे।<br><br>4. रेफरेंस पर उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।<br><br>5. योग्य उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि डोली बनाम आसण वाके सोमड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। वर्णित भूमि मंदिर मूर्ति के खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना है। ऐसी भूमि को किसी भी कानून के तहत अन्य व्यक्ति के नाम इन्द्राज नही किया जा सकता है। तत्कालीन समय में हल्का पटवारी द्वारा काटछांट कर मन्दिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में अभिलिखत किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। इस प्रकार तत्कालीन समय में हल्का पटवारी व भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किया गया उसे हटाया जाना आवश्यक है। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। अतः हाल आराजी से विपक्षीगण के नाम को हटाया जाकर पुनः डोली बनाम आसण वाके सोमड़ा के नाम दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये जावें।<br><br>6. मैने योग्य उप–राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।<br><br>7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सारासणी तहसील व जिला नागौर की जमाबंदी संवत 2006 एवं 2013 से 2016 में में खसरा नंबर 190 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि डोली बनाम आसण वाके सामेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा काश्तकार के कॉलम में जगनाथ बेटा पेमनाथ जाति नाथ अंकित की गई है। भू प्रबंध विभाग द्वारा द्वारा संवत 2020 में खसरा नंबर 190 की 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि किस्म बारानी दोयम जगनाथ वल्द | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेंस/एल.आर/54033/2005/नागौर**<br>**सरकार बनाम चूनानाथ** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

पेमनाथ कौम नाथ की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में खसरा नंबर 190 रकबा 8.02 बीघा चूनानाथ बंशीनाथ पिसरान जगनाथ कौम नाथ सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार तत्कालीन पटवारी हल्का एवं भू–प्रन्ध विभाग द्वारा किये गए इन्द्राज पूर्णतया नियमों के विरुद्ध है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मंदिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। मन्दिर/मूर्ति की भूमि को व्यक्ति विशेष के नाम तत्कालीन पटवारी हल्का एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा इन्द्राजों को परिवर्तित कर निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतया नियमों के विरुद्ध है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः रैफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सरासनी तहसील व जिला नागौर में स्थित खसरा नंबर 190 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज समस्त इन्द्राजात को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि को गत बन्दोबस्त अभिलेख संवत 2006 एवं 2013 से 2016 के अनुसार डोली बनाम आसण वाके सोमडा के नाम राजस्व अभिलेख नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

9. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

10. पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(मनोज कुमार नाग )**
**सदस्य**